**संख्या- 210 /2026 / 2820 /चार-2026-1677231**

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

**संस्कृति अनुभाग**: **लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1722/सं0नि0-20(07-लो0एवंज0सं0सं0)/2020-21 दिनांक 22 सितम्बर, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निदेशक, उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-447/05(बजट)/ उ0प्र0लो0ज0सं0स0/2026-27 दिनांक 30 जुलाई, 2026 एवं पत्र संख्या-454/05(बजट)/ उ0प्र0लो0ज0सं0स0/2026-27 दिनांक 14 अगस्त, 2026 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख के क्रम में प्रथम किश्त की धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को ओपनिंग बैलेन्स के रूप में संस्थान के खाते में रू0 27,45,410.00 की अवशेष धनराशि के समायोजन के पश्चात प्रथम किश्त की धनराशि रू0 22,54,590.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वार्षिक कलैण्डर एवं अन्य गतिविधियो का व्यय विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है:-

| क्र0 | विवरण | अनुमानित धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | नदिया गाती है, नदी संस्कृति पर आधारित लोक नृत्य, लोक गीत एवं किस्सागोई के कार्यक्रम आदि | 20.00 लाख |
| 2 | जनजातीय यात्रा कार्यक्रम (पाँच दिवसीय जनजातीय जनपदों में) | 11.00 लाख |
| 3 | बिरसा मुण्डा के जन्म दिवस पर सात दिवसीय जनजातीय उत्सव कार्यक्रम । | 50.00 लाख |
| 4 | शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि में नवधा के अन्तर्गत 08 मण्डलों के 08 जिलों के देवी मंदिरों में भक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम | 5.00 लाख |
| 5 | सृजन के अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन लोक गायन, लोक वादन, कठपुतली, लोक नाट्य, लोक चित्रकला आदि की कार्यशालायें। (09 जनजातीय जनपदों में) | 5.00 लाख |
| 6 | विलुप्त होती विधा-पुलुल पर्व उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल की कठपुतली परम्परा पर आधारित कार्यक्रम | 10.00 लाख |
| 7 | संपदा कार्यक्रम के अन्तर्गत विलुप्त हो रहे लोक गीतों, लोक गाथाओं की रिकार्डिंग उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में। | 2.00 लाख |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| 8 | संस्थान द्वारा दिये जाने वाले दो पुरस्कार यथा-लोक एवं जनजातीय पुरस्कार पर व्यय | 2.00 लाख |
| 9 | उच्च निर्देशों के क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम | 30.00 लाख |
| 10 | संस्थान में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय पर वार्षिक व्यय | 25.00 लाख |
| 11 | संस्थान में निदेशक की गाडी पर वार्षिक व्यय | 7.00 लाख |
| 12 | संस्थान के कार्यालयीय व्यय, जैसे स्टेशनरी, कम्प्यूटर सामग्री, टोनर, फोटोकापी मशानपर व्यय, फोटोपेपर, फाइल लिफाफा व अन्य विविध व्यय आदि पर वार्षिक व्यय | 8.00 लाख |
| 13 | संस्थान की बेवसाइट एवं इंटरनेट सेवा पर वार्षिक व्यय | 1.00 लाख |
| 14 | संस्थान की वार्षिक आडिट एवं जी०एस०टी०/टी०डी०एस० एवं आदि पर वार्षिक व्यय | 1.00 लाख |
| 15 | वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यक्रम मद में प्राविधानित धनराशि में से बचत धनराशि से अन्य कार्यक्रमों के आयोजन | |
| | **कुल योग** | **150.00 लाख** |

**2.** इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार कार्ययोजना पर अनुमोदन के साथ ही उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख सापेक्ष दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को संस्थान के बैंक खाते में उपलब्ध रू0 27,45,410.00 का समायोजन करते हुए **प्रथम किश्त** के रूप में **रू0 22,54,590.00 (रूपये बाईस लाख चौवन हजार पांच सौ नब्बे मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक-28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ का होगा।

(5) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।

(8) उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय से संबंधित बिल / बाउचर्स एवं सम्पूर्ण लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जायेगा।

**3.** इस संबंध में होने वाले व्यय **रुपये 22,54,590.00 (रूपये बाईस लाख चौवन हजार पांच सौ नब्बे मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखाशीर्षक** 2205001012200 लोक एवं जनजातीय कला तथा सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

**4.** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

**संख्या- 210 /2026 / 2820 (1)/चार-2026-1677231 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।